

दिनांक

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर तारीख अदालत
जो इस हुकम की
तारीख में जारी हुई

18/07/24 पत्रावाली पेश हुई। पार्थी को को के
 दिनांक 10/06/24 को कछ(रेमिड) जेने के
 उपरत आदिनांक तक ककालमन सुरु
 नही किया गया है। एवं सचिव ने भी गत
 एक वर्ष से भी आधीन समय से न्यायालय
 सारा में उपस्थिति नहीं की है अपुर्णतया
 संख्या 2, 3, 4 की तपकी भी शेष है, जिसे हेतु
 तपवाने पेश करने का दायित्व भी पार्थी
 का ही है। अतः पार्थी को एक एक महीने
 तीन बार आवाज लगाई गई, किंतु पार्थी
 शिनायासन ककालमन ककालमन ककालमन
 अतः अतः पत्रावाली ककालमन पार्थी के
 उचित की जाती है पत्रावाली दायित्व -
 पार्थी है।

अतिरिक्त जिला कलप
 बाली, जिला-पाली